HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1965/2026

Munasib S/o Aas Mohammed, Aged About 26 Years, R/o Hvarvi Bamatheri, 79, Mewat, Hariyana.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anupam, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

16/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना मालपुरा, जिला टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 230/2025 अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8, राजस्थान गोवंशीय पशु नियम, 1995 व धारा 11(1)(d) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में जिस वाहन से गौवंश परिवहन किया जा रहा था, वह जब्त हो चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त को उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना बताया गया है, प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, वह अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तत्पर है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मुनासिब पुत्र आस मोहम्मद** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA /100